

पत्रांक-14/जा०नि०-03-13/2015 /का०. 1754

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के०के० खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी उपायुक्त

सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।

परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची।

दिनांक- 25/02/2019

विषय :- जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु झारखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग-दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु समय-समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है। साथ ही इन प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने हेतु प्रमाण-पत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है।

वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के संबंध में विभाग को अवगत कराया गया है जिनके निराकरण के मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन थे। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत अनुदेश दिये जाते हैं :-

1. सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे।
2. राज्य सरकार से इतर प्राधिकारों/अन्य संस्थानों में नियुक्ति अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए यदि अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की माँग की जाती है तो ऐसे मामलों में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर उच्चाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
3. वांछित प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक/आवेदिका द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे गये आवेदन, सुसंगत स्व-घोषणा पत्र अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र सहित ऑनलाईन जमा किये जायेंगे।

4. अंचल अधिकारी के द्वारा झारसेवा सॉफ्टवेयर पर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जायेगा। झारसेवा पोर्टल पर अंचल कार्यालय के सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक अपने लॉगिन आई.डी. का प्रयोग करते हुए जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन में दावे की सम्यक् जाँच कर लेंगे तथा नियमानुसार प्रस्ताव अंचल अधिकारी को ऑनलाईन समर्पित करेंगे।
5. झारखण्ड राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के निमित्त आवेदन हेतु निम्नलिखित अर्हता पूरी करना अनिवार्य है -
 - (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - (ख) वह या उसके पूर्वज झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में क्रमशः दिनांक-10.08.1950 एवं दिनांक-06.09.1950 तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) के मामले में दिनांक-10.11.1978 तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-08.09.1993 के पूर्व से स्थायी रूप से आवासित हो।
 - (ग) वह साधारणतः आवेदन में दर्ज पते पर निवास करता हो।
 - (घ) वह आवेदित जाति का सदस्य हो।
 - (ङ) आवेदक का कोई पहचान पत्र हो।
 - (च) स्व-घोषणा पत्र
6. उपर्युक्त कंडिका-5 (क) से (ङ) तक की अर्हता पूरी करने संबंधी निम्नांकित दस्तावेजों को समर्पित करना अनिवार्य होगा -
 - (क) नागरिक होने के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा : -
 - i. स्वयं का मतदाता पहचान पत्र
 - ii. आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में आवेदक के माता अथवा पिता का मतदाता पहचान पत्र।
 - iii. सत्यापित मतदाता सूची, जिसमें स्वयं अथवा माता/पिता (आवेदक के अवयस्क रहने पर) का नाम अंकित हो।
 - iv. स्वयं का पैन कार्ड।
 - v. आवेदक के अवयस्क रहने पर माता अथवा पिता का पैन कार्ड।
 - vi. आवेदक का पंजीयक/निबंधक द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।
 - vii. कोई भी सरकारी दस्तावेज जो निर्विवाद रूप से आवेदक के भारत की नागरिकता को स्पष्ट करता हो।
 - (ख) जाति प्रमाण पत्र के निमित्त स्थायी रूप से निवासित होने के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा:-

- i. रेकॉर्ड ऑफ राईट्स (रिविजनल अथवा म्युनिसिपल), जिससे आवेदक अथवा उसके पूर्वज के झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में दिनांक-10.08.1950 (अनुसूचित जाति के मामले में), दिनांक-06.09.1950 (अनुसूचित जनजाति के मामले में), दिनांक -10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के मामले में) तथा दिनांक-08.09.1993 (केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) से स्थायी रूप से निवासित होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता हो।
- ii. भू-निबंधन कागजात, जिससे आवेदक अथवा उसके पूर्वज के झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में दिनांक-10.08.1950 (अनुसूचित जाति के मामले में), दिनांक-06.09.1950 (अनुसूचित जनजाति के मामले में) दिनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में) तथा दिनांक-08.09.1993 (केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) से स्थायी रूप से निवासित होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता हो।
- iii. अनुसूचित जाति के मामले में दिनांक-10.08.1950, अनुसूचित जनजाति के मामले में दिनांक-06.09.1950 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-10.11.1978 तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-08.09.1993 से आवासित होने की निर्विवाद रूप से पुष्टि करने संबंधी प्रमाणित मतदाता सूची।
- iv. अनुसूचित जाति के मामले में दिनांक-10.08.1950, अनुसूचित जनजाति के मामले में दिनांक-06.09.1950 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-10.11.1978 तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-08.09.1993 से आवासित होने का निर्विवाद रूप से पुष्टि करने संबंधी कोई सरकारी दस्तावेज।

(ग) साधारणतः निवास (साधारणतः निवास करने का तात्पर्य वही है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20 के तहत परिभाषित है) करने संबंधी पता के संबंध में आवेदक को स्वघोषणा-पत्र एवं निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

- i. स्वयं का अद्यतन एवं वैध मतदाता पहचान पत्र।
- ii. आवेदक के अवयस्क होने पर माता अथवा पिता का अद्यतन एवं वैध मतदाता पहचान पत्र।
- iii. अद्यतन विद्युत विपत्र।
- iv. अद्यतन दूरभाष विपत्र।
- v. अद्यतन जलकर विपत्र।
- vi. राशन कार्ड।
- vii. पासपोर्ट।
- viii. ड्राईविंग लाईसेंस।
- ix. आयकर निर्धारण आदेश।
- x. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
- xi. कोई भी सरकारी दस्तावेज जो आवेदक के साधारण तौर पर निवास करने को निर्विवाद रूप से प्रमाणित करता हो।

- (घ) जाति प्रमाण पत्र हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
- रेकॉर्ड ऑफ राईटस (रिविजनल अथवा म्युनिसिपल)।
 - निबंधन कागजात/भू-अभिलेख/दानपत्र/भूमिहीन को आवंटित भूमि से संबंधित अभिलेख जिसमें स्पष्ट रूप से जाति अंकित हो तथा यह दिनांक-10.08.1950 (अनुसूचित जाति के मामले में), दिनांक-06.09.1950 (अनुसूचित जनजाति के मामले में), दिनांक -10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में) तथा दिनांक-08.09.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व का हो।
 - स्थानीय जाँच प्रतिवेदन कंडिका- 13 के अनुसार (उपर्युक्त कंडिका में उल्लिखित भू-अभिलेख नहीं होने पर)
- (ङ) पहचान पत्र हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
- मैट्रिकुलेशन का प्रवेश पत्र।
 - मतदाता पहचान-पत्र।
 - पैन कार्ड।
 - आधार कार्ड।
 - नियोजक द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान-पत्र (सिर्फ सरकारी कर्मचारी के मामले में)।
 - पासपोर्ट।
 - ड्राइविंग लाईसेंस।
 - फोटोयुक्त पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर (PPO)
 - मनरेगा जॉब कार्ड
 - आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्गत हेल्थ इश्योरेंस कार्ड
 - फोटोयुक्त बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक
- (च) संलग्न विहित प्रपत्रों की सूची के अनुसार प्रमाण-पत्र विशेष हेतु निदेशित स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. जाति प्रमाण-पत्र जाँचोपरांत अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। राजस्व अभिलेख की जाँच अंचल कार्यालय द्वारा की जायेगी। यदि किसी आवेदक का राजस्व अभिलेख ऐसे जिला में है जहाँ अब वह साधारणतः आवासित नहीं है, तो ऐसे मामले में मूल राजस्व अभिलेख से सम्बन्धित अंचल कार्यालय के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा तथा सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र में साधारणतः निवास करने सम्बन्धी कंडिका का विवरण वही होगा जो आवेदक के द्वारा स्वघोषणा पत्र के माध्यम से समर्पित होगा। उदाहरणस्वरूप - यदि आवेदक 'मोहन' का मूल राजस्व अभिलेख राँची जिला के सिल्ली अंचल अन्तर्गत संधारित है एवं आवेदक 'मोहन' हजारीबाग में साधारणतः निवास करता है तो आवेदक 'मोहन' का जाति प्रमाण पत्र सिल्ली अंचल से निर्गत होगा एवं जाति प्रमाण पत्र के साधारणतः निवास करने सम्बन्धी कंडिका में स्थान विशेष का नाम हजारीबाग होगा। यह आवेदक 'मोहन' की स्वघोषणा पत्र पर आधारित होगा।
8. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी होगी।

- 8.1 झारखण्ड सरकार में नियोजन/तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में आरक्षण के लाभ के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के आवेदक को क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8.2 झारखण्ड राज्य में नियोजन/तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता अगले आदेश तक के लिए होगी, किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (संलग्न फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर ही विगत वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे।
- 8.3 कुछ प्रयोजनों के लिए क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होकर मात्र अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के जाति प्रमाण पत्र की ही आवश्यकता हो सकती है जिसका क्रीमीलेयर में होने अथवा नहीं होने से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। ऐसे प्रयोजनों को ध्यान में रखकर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के जाति प्रमाण पत्र संलग्न फार्म संख्या-6 में निर्गत किये जायेंगे।

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों में अथवा उच्च शिक्षा के निमित्त तकनीकी/गैरतकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फार्म संख्या-11) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- 8.4 केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) के प्रमाण पत्र हेतु कंडिका-6 (घ) संबंधी भू-अभिलेख जिसमें आवेदक की जाति अंकित हो, के साथ कंडिका-18.5 के अनुरूप आवेदक आवेदन समर्पित कर सकता है। अर्थात् केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ० बी० सी०) के प्रमाण हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ० बी० सी०) के प्रमाण पत्र की वैधता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रावधान के अनुरूप होगी।
9. क्रीमीलेयर के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के OM No. 36033/5/2004-Estd.(Stc) Dt. 14/10/2004 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वार्षिक आय की गणना करने के क्रम में आवेदक/आवेदिका के माता/पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को शामिल नहीं किया जायेगा। केन्द्र सरकार के इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 9.1 क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बार-बार निर्गत नहीं किए जाएँगे। पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की स्थिति में क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र फार्म संख्या-15 में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा।
10. आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- B.C12025/02/76. एस0सी0टी0 दिनांक-22.03.1977 एवं

पत्रांक-B.C.-16014/182-S.C and B.C.D.I, दिनांक-22.02.1985 तथा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-F.No. 12011/11/94 -BCC (C) दिनांक-08.04. 1994 प्रासंगिक है, जिसके अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु किसी व्यक्ति के किसी स्थान विशेष का होना महत्व रखता है। शिक्षा ग्रहण करने, आजीविका प्राप्त करने अथवा अन्य उद्देश्य से कई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर बस जाते हैं, ऐसे लोग आब्रजित श्रेणी (Migrated) में आते हैं, और इन्हें अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी। झारखण्ड में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि कोई महिला विवाह के आधार पर किसी अन्य राज्य से झारखण्ड में आब्रजित होती है तो ऐसी महिला को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी।

ऐसे आब्रजित श्रेणी के व्यक्तियों को आब्रजित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता को मूल राज्य से सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्रपत्र में ऑनलाईन निर्गत किया जा सकता है, जिसमें उनके मूल राज्य का नाम अंकित होगा। अन्य राज्य से आये ऐसे लोगों को झारखण्ड राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

किसी अन्य राज्य से आब्रजित व्यक्ति के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाय कि सम्बन्धित व्यक्ति के पिता को निर्गत जाति प्रमाण पत्र, उनके मूल राज्य में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया हो एवं सत्यापित हो। आवेदक इस निमित्त मूल राज्य से निर्गत अपने पिता के जाति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संबंधित अंचल अधिकारी के समक्ष ऑनलाईन समर्पित करेंगे। अंचल अधिकारी आवेदक के पिता के मूल राज्य के सक्षम पदाधिकारी को पत्र भेजकर निर्गत जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करायेंगे तथा सत्यापन प्रतिवेदन की मूल प्रति अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा इसे ऑनलाईन अपलोड करायेंगे।

- 10.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आब्रजित श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी होगी।
- 10.2 केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के आब्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र की वैधता केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश के अनुसार यथाविहित अवधि के लिए होगी।
11. जाति प्रमाण पत्र आवेदक के पिता की जाति के आधार पर निर्गत किया जायेगा।
12. क्रीमीलेयर का निर्धारण आवेदक के पिता एवं माता के स्टेटस/आय के आधार पर किया जायेगा। इसलिए क्रीमीलेयर निर्धारण करते वक्त आवेदक या उसके पति/पत्नी के स्टेटस या आय को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। क्रीमीलेयर के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के OM No. 36033/5/2004-Estd.(Stc) Dt. 14/10/2004 द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में समय-समय पर निर्गत अनुदेश झारखण्ड राज्य में प्रभावी होंगे, जिसका अनुपालन कर क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का निष्पादन किया जा सकेगा।

13. झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा से आच्छादित कोई व्यक्ति इस राज्य में स्वतः आरक्षण की सुविधा पाने के लिए अधिकृत नहीं है। उपर्युक्त कंडिका-6 (घ) में उल्लिखित भू-अभिलेख/रेकॉर्ड ऑफ राइट्स/भूमि निबंधन कागजात, जिस अभिलेख के आधार पर जाति का निर्धारण प्रायः किया जाता है, के नहीं होने की स्थिति/संशय की स्थिति में अथवा आवेदक के भूमिहीन होने की स्थिति में स्थानीय जाँच की निम्न प्रक्रिया अपना कर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है:-

- (i) स्थानीय जाँच हेतु आवेदक को अपनी जाति विशेष के संबंध में नोटरी के माध्यम से शपथ पत्र के साथ अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करना होगा।
- (ii) अंचल अधिकारी ऐसे आवेदन का अभिलेख खोलकर आवेदक के दावा के संबंध में 15 दिनों का नोटिस निर्गत करेंगे तथा इसे कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित करेंगे।
- (iii) अंचल अधिकारी, आवेदक के जाति विशेष के दावा के संबंध में अंचल निरीक्षक से स्थल जाँच कराकर, प्रकाशित नोटिस के संबंध में प्राप्त आपत्ति तथा अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन को संबंधित मुखिया/वार्ड पार्षद को ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)/वार्ड समिति (नगर निकाय क्षेत्र के लिए) का मंतव्य प्राप्त करने हेतु भेजेंगे।

वार्ड समिति/ग्राम सभा आवेदक/उनके पूर्वज की जाति के सूचीकरण की तिथि से उक्त क्षेत्र में लगातार निवास करने या आवासन एवं उनके जाति के सम्बन्ध में आवेदक के पिता/पूर्वज के सम्बन्ध में कंडिका-6 (क) से (ड) (घ को छोड़कर) में वर्णित कागजात इत्यादि की जाँच कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन मंतव्य के साथ वार्ड पार्षद/मुखिया को उपलब्ध करायेंगे (चेक लिस्ट संलग्न- देखें प्रपत्र-XIV)।

- (iv) वार्ड पार्षद/मुखिया क्रमशः वार्ड समिति/ग्राम सभा की राय प्राप्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की जाति का स्पष्ट उल्लेख कर प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय/अंचल अधिकारी को भेज देंगे।
- (v) निकाय क्षेत्र के आवेदकों के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी सम्यक् जाँचोपरान्त अपनी संतुष्टि के आधार पर मन्तव्य अंचल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- (vi) अंचल अधिकारी निकाय क्षेत्र के मामले जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से जाति निर्धारित कर प्रतिवेदन भेजा गया है, जाति के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् अभिलेख पर युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे तथा दावा सही पाये जाने की स्थिति में स्थानीय जाँच प्रतिवेदन निर्गत करेंगे।
- (vii) ग्रामीण क्षेत्र के मामले में अंचल अधिकारी ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसमें स्पष्ट रूप से जाति निर्धारित कर प्रतिवेदन भेजा गया हो, जाति के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् अभिलेख पर युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे तथा दावा सही पाये जाने की स्थिति में स्थानीय जाँच प्रतिवेदन निर्गत करेंगे।

आवेदन के साथ दायर शपथ पत्र में आवेदक को यह अंकित करना अनिवार्य होगा कि भविष्य में आवेदक को निर्गत प्रमाण पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में इसे आवेदक के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति/पिछड़ा वर्ग को संविधान प्रदत्त अधिकार/सुविधा को हरण करने का कपटपूर्ण कार्य समझा जाएगा तथा इसके लिए उनके विरुद्ध आपराधिक षडयन्त्र का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नियोजन अथवा आरक्षण के अन्य लाभ से उन्हें वंचित किया जा सकेगा।

14. उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण पत्र यदि कालान्तर में गलत पाया जाता है, तो गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी/ जनप्रतिनिधि जिनके द्वारा जानबूझ कर गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में सहयोग किया गया है, उनके विरुद्ध जांचोपरान्त आपराधिक षडयन्त्र का मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है।
15. कतिपय मामले में खतियान एवं निबंधन कागजात में व्यक्ति की जाति हिन्दू, मुस्लिम, मारवाड़ी, क्रिस्तान आदि अंकित पाये गये हैं तथा ऐसे व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी विशेष जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन समर्पित करते हैं, तो ऐसे सभी मामलों में कडिका-13 में उल्लिखित जाँच प्रक्रिया के अनुसार जाति निर्धारण कर प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।
16. विस्थापित व्यक्तियों के मामले में उनके खतियान में अंकित जाति का प्रमाण पत्र खतियान से संबंधित अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत किया जायेगा। परन्तु ऐसे मामले में आवेदक को भू-अभिलेख/भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज/पुनर्वास प्रमाण पत्र तथा उनको पुनर्वासित स्थान अथवा आवेदित पते पर साधारणतः निवासित होने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
17. जाति प्रमाण पत्र में जाति का नाम उसी रूप में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिस रूप में जाति की सम्बद्ध सूची में नाम अंकित है, इसकी वर्तनी (Spelling) में परिवर्तन भी अनुमान्य नहीं है।
18. विभिन्न श्रेणी के जाति प्रमाण पत्रों को निर्गत करने हेतु इस अनुदेश के साथ विहित आवेदन प्रपत्र, स्वघोषणा पत्र का प्रपत्र एवं मानक प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिचारित किये जा रहे हैं। विभिन्न श्रेणी के प्रमाण पत्रों के आवेदन हेतु संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की मानक सूची निम्नवत् है :-

क्र०	प्रमाण पत्र की श्रेणी	आवश्यक कागजात एवं प्रपत्र की विवरणी
18.1	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (केन्द्र प्रयोजनार्थ एवं राज्य प्रयोजनार्थ) प्रपत्र-IV एवं V	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन विहित प्रपत्र-1A 2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-II 2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-III (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें कडिका- 6 (घ)) 3.A जाति से संबंधित अभिलेख नहीं होने पर स्थानीय जाँच प्रतिवेदन (देखें कडिका-13) 4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 (क))

		5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 (ख))
		6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 (ग))
		7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका - 6 (ड))
18.2	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र (आव्रजित श्रेणी के आवेदकों हेतु) प्रपत्र- XII	1. आवेदन विहित प्रपत्र-1(A) 2. आवेदक के जाति के संबंध में स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-II 3. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-III (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 4. आवेदक के पिता को उनके मूल राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (देखें कडिका-10) 5. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 (ग)) 6. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका - 6 (ड))
18.3	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) जाति प्रमाण पत्र प्रपत्र- VI झारखण्ड राज्य में नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के दावा को छोड़कर अन्य प्रयोजनार्थ	1. आवेदन विहित प्रपत्र-1 (B) 2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-II 2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-III (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें कडिका- 6 (घ)) 4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका - 6 (क)) 5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 (ख)) 6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 (ग)) 7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका - 6 (ड))
18.4	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ) प्रपत्र- XI झारखण्ड राज्य में नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रयोजनार्थ	1. आवेदन विहित प्रपत्र-VII 2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-VIII 2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-IX (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें कडिका-6 घ) 3.A जाति से संबंधित अभिलेख नहीं होने पर स्थानीय जाँच प्रतिवेदन (देखें कडिका-13) 4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 क) 5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका 6-ख) 6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 ग) 7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 ड)
18.5	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ० बी० सी०) प्रपत्र- X	1. आवेदन विहित प्रपत्र-VII 2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-VIII 2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-IX

	केन्द्रीय सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रयोजनार्थ	(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें उपर्युक्त कडिका- 6 घ) अथवा वैकल्पिक तौर पर उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण पत्र 4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 क) 5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 ख) 6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 ग) 7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 ड)
18.6	आव्रजित श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र हेतु (क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ) प्रपत्र- XIII	1. आवेदन विहित प्रपत्र-VII 2. आवेदक की जाति के संबंध में स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-VIII 3. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-IX (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 4. आवेदक के पिता को उनके मूल राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (देखें कडिका 10) 5. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 ग) 6. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कडिका- 6 ड)

19. राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के द्वारा यदि किसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/आदेश पारित किया जाता है तो सम्बन्धित अंचल अधिकारी ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द/निरस्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी उच्चाधिकारियों/सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारक को देंगे। साथ ही सूचना पट्ट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इसकी सूचना प्रकाशित करेंगे।
- 19.1 सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि सम्बन्धित रद्द/निरस्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो उसे भी रद्द/निरस्त कर दिया जाय।
20. जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/आदेश/संकल्प आदि के असंगत अंश विलोपित किए जाते हैं।
21. विभिन्न प्रमाण पत्रों/आवेदन पत्रों/स्व-घोषणा पत्रों के विहित प्रपत्र संलग्न हैं।
22. नयी व्यवस्था झारसेवा सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्द्धन के उपरान्त 01 मार्च, 2019 के प्रभाव से लागू होगी।

अनुलग्नक-विहित प्रपत्रों की सूची।

विश्वासभाजन

Kailash
25/2/19
(कै0कै0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।
25/2/19

विहित प्रपत्रों की सूची

क्रमांक	विषय वस्तु	फॉर्म संख्या	पृष्ठ संख्या
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र	प्रपत्र - I (A)	
2	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र	प्रपत्र - I (B)	
3	आवेदक के द्वारा स्वयं के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र	प्रपत्र - II	
4	आवेदक के पिता/माता के द्वारा अपनी संतान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)	प्रपत्र - III	
5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (झारखण्ड सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र - IV	
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र - V	
7	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (झारखण्ड सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र - VI	
8	ओ० बी० सी०/बी० सी०-I एवं बी०सी०-II (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र	प्रपत्र - VII	
9	आवेदक के द्वारा स्वयं के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति प्रमाण पत्र निमित्त क्रीमीलेयर हेतु घोषणा पत्र	प्रपत्र - VIII	
10	आवेदक के पिता/माता के द्वारा संतान के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति प्रमाण पत्र निमित्त क्रीमीलेयर हेतु घोषणा पत्र	प्रपत्र - IX	
11	अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र - X	

12	अत्यन्त पिछडा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछडा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)	प्रपत्र -XI	
13	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (आव्रजित श्रेणी के आवेदकों हेतु)	प्रपत्र -XII	
14	अत्यन्त पिछडा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछडा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (आव्रजित श्रेणी के आवेदकों हेतु)	प्रपत्र -XIII	
15	ग्राम सभा/वार्ड समिति के द्वारा जाति निर्धारण हेतु चेक लिस्ट	प्रपत्र -XIV	
16	क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व-घोषणा पत्र	प्रपत्र -XV	

आवेदन का प्रपत्र

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र हेतु)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :-			
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :-			
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-			
4	जन्म तिथि :-	5	लिंग	पुरुष () महिला () ट्रांसजेंडर ()
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उल्लेख करें) :-		7. उपजाति :-	
8	धर्म :-			
9	आवासीय पता :-			
(क)	स्थायी पता :- गाँव/मुहल्ला _____ थाना _____ राज्य _____	प्रखण्ड _____ जिला _____	डाकघर _____ पिन _____	
(ख)	वर्तमान पता :- गाँव/मुहल्ला _____ थाना _____ राज्य _____	प्रखण्ड _____ जिला _____	डाकघर _____ पिन _____	
10	पिता का नाम :-			
11	पिता की जाति :-			
12	माता का नाम :-			
13	पति का नाम :-			
14	पति की जाति :-			
15	केन्द्र की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)		क्रमांक-..... संकल्प सं०-.....	
16	झारखण्ड राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)		क्रमांक-..... संकल्प सं०-.....	
17	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में मूल राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या		क्रमांक-..... संकल्प सं०-.....	
18	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में पैतृक राज्य के द्वारा पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या :- प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम :-			

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/माता का हस्ताक्षर
(पिता/माता का नाम :- _____)
(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नोट :-

1. आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।
2. आवेदक के अवयस्क होने की दशा में आवेदन उनके माता/पिता के द्वारा समर्पित किया जा सकेगा।
3. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आब्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।

आवेदन का प्रपत्र
(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - II) प्रमाण पत्र हेतु)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :-		
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :-		
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-		
4	जन्म तिथि :-	5	पुरुष() महिला () ट्रांसजेंडर ()
6	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) (उल्लेख करें) :-		7. उपजाति :-
8	धर्म :-		
9	आवासीय पता :-		
(क)	स्थायी पता :-		
	गाँव/मुहल्ला _____ थाना _____ राज्य _____	प्रखण्ड _____ जिला _____	डाकघर _____ पिन _____
(ख)	वर्तमान पता :-		
	गाँव/मुहल्ला _____ थाना _____ राज्य _____	प्रखण्ड _____ जिला _____	डाकघर _____ पिन _____
10	पिता का नाम :-		
11	पिता की जाति :-		
12	माता का नाम :-		
13	पति का नाम :-		
14	पति की जाति :-		
15	झारखण्ड राज्य की सूची में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) का क्रमांक:- संकल्प संख्या :- (राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)		

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/माता का हस्ताक्षर
(पिता/माता का नाम :- _____)
(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नोट :-

1. आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।
2. आवेदक के अव्यक्त होने की दशा में आवेदन उनके माता/पिता के द्वारा समर्पित किया जा सकेगा।
3. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) के राज्य प्रयोजनार्थ के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा, जिसमें क्रीमीलेयर-रहित प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

स्वघोषणा पत्र

स्वयं के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- II) प्रमाण पत्र हेतु

मैं पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.08.1950(अ.ज.)/06.09.1950 (अ.ज.ज.)/ 10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते-गाँव/मुहल्ला
 प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल
 जिला पिन कोड राज्य निवासित हूँ/ रहे हैं।
 अथवा,

मैं पिता राज्य का/की मूल निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/ आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आब्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
4. मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।
5. मैंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि की उपजाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि के रूप में सूचीबद्ध है।
6. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं, मौजा खाता संख्या प्लॉट संख्या पंचायत/वार्ड के खतियानी रैयत का/की हूँ।
 खतियानी रैयत का नाम (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-
 ↓
 प्रथम पीढ़ी
 ↓
 द्वितीय पीढ़ी
 ↓
 तृतीय पीढ़ी
 ↓
 चतुर्थ पीढ़ी
 * जो लागू न हो उसे काट दें।
7. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है अथवा भूमिहीन है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आब्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आब्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के पिता/माता के द्वारा अपनी संतान के अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण-पत्र हेतु

मैं पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हैं और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.08.1950 (अ.ज.) / 06.09.1950 (अ.ज.ज.) / 10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते-गाँव/मुहल्ला
 प्रखण्ड डाकघर
 थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य
 निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं पिता राज्य का/की मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आब्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

- मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
- मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
- मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
- मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन राज्य पर सामान्य/स्थायी रूप से निवासित हूँ।
- मैंने अपने पुत्र/पुत्री के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि की उपजाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं मौजा खाता संख्या प्लॉट संख्या पंचायत/वार्ड के खतियानी रैयत का/की हूँ। (यह कण्डिका आब्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

खतियानी रैयत का नाम (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-

↓
 प्रथम पीढ़ी

↓
 द्वितीय पीढ़ी

↓
 तृतीय पीढ़ी

↓
 चतुर्थ पीढ़ी

* जो लागू न हो उसे काट दें।

5. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Son/ Daughter of
..... Wife of (in case of married
woman) of Village/ Town.....District/Division*.....of the
State/Union Territorybelongs to Caste/Sub-Caste
under Scheduled Tribes/Schedule Caste which is approved as Scheduled Tribe/Caste for the State of Jharkhand
and professes Religion.

2.* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*
.....District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in SC/ST caste list for Jharkhand
State.

Note :

- (a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.
- (b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:
 - (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate
 - (ii) Circle Officer
- (c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001, as amended by the fifth and sixth schedule under section 23 and 24 respectively of Reconstitution of Bihar Act, 2000 the Constitution of (Scheduled Castes) Amendment Order, 1950 and Amendment (Schedule Tribes) Amendment Order, 1950 and Schedule Castes and Schedule Tribes Order (Amendment) Act 2002.

Signature.....

Designation

Place.....

(with seal of office)

Date.....

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि
 पिता पति
 (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर, जिला/प्रमंडल
, राज्य/संघशासित प्रदेश, झारखंड राज्य में यथा
 अनुमोदित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन
 जाति/उपजाति के सदस्य हैं तथा धर्म को माननेवाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया
 झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल में
 निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

- क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।
- ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :
- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी
- ii) अंचल अधिकारी
- ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

स्थान
 तिथि

हस्ताक्षर
 पदनाम
 कार्यालय के सील सहित

FORM OF CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari Son/ Daughter of Shri/Smt. of Village/ TownDistrict/ Division*.....of the State/Union Territorybelongs to the Caste/Tribe which is recognized as Scheduled Caste/Scheduled Tribe under :

*The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order, 1951

*The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organization Act, 1960, the Punjab Re-organization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1971 and the North Eastern Areas (Reorganization) Act, 1976]

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

* The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.

- * The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.
- * The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
- * The Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 2002.

2. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*
District/Division* of the State/Union Territory* of

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in Central Caste list under SC/ST category for Jharkhand.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

- (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

Signature.....

Designation

(with seal of office)

Place.....

Date.....

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (CEIs) में दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 पिता ग्राम/नगर
 जिला/प्रमंडल, राज्य/संघशासित प्रदेश
 निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति/जनजाति के सदस्य हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- * संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/ BACKWARD CLASSES UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Son/ Daughter of Wife of (in case of married woman) of Village/ Town.....District/Division*of the State/Union Territorybelongs to the Caste which is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reseration of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes Religion..

2.* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. Non-Creamy Layer certificate is required to be annexed with this certificate for seeking benifit of reservation in appointment under Govt. of Jharkhand or seeking admission in Technical/Non-technical Institution for Higher Education or any other purpose.

4. This certificate is valid till further orders or till any change made in State Caste list of Extremely Backward Classes/ Backward Classes.

Note :

- (a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.
- (b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:
 - (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate
 - (ii) Circle Officer
- (c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001
- (d) The castes included in the list of Extremely Backward Classes./Backward Classes under section- 2 of the Jharkhand Reservation of of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001 vide Resolution No. 3885 Dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6337 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2759 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2007, 5182 dated 26.09.2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5108 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, 6987 dated 26.09.2011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.01.2012, 2855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.

Signature.....

Designation

Place.....

(with seal of office)

Date.....

झारखंड सरकार के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले जाति प्रमाण-पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि
 पिता पति
 (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल
, राज्य/संघशासित प्रदेश जाति के सदस्य
 हैं जो झारखंड राज्य में पिछड़े वर्ग के रूप में झारखंड रिक्तियों एवं पदों के लिये
 आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये)
 अधिनियम 2001 के अधीन मान्यताप्राप्त है तथा ये धर्म को मानने वाले
 हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार
 साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल
 में निवास करते हैं।

3. झारखंड राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों में अथवा उच्च शिक्षा के
 निमित्त तकनीकी/गैरतकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये आरक्षण का लाभ
 प्राप्त करने हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फार्म संख्या-11) संलग्न करना
 अनिवार्य होगा।

4. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा
 वर्ग/पिछड़ा वर्ग की सूची में एतदसम्बन्धी परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व
 अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर
 आधारित है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट
 है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर
 समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक
 दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं
 और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों
 के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा

गठित झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

- घ. झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 संकल्प सं. 3885, दिनांक 05.11.2011; 801, दिनांक 11.02.2003; 3436, दिनांक 28.06.2004; 6337, दिनांक 08.12.2004; 6374, दिनांक 11.12.2004; 368, दिनांक 19.01.2006; 2759, दिनांक 01.06.2006; 3706, दिनांक 15.07.2006; 4447, दिनांक 24.08.2007; 5182, दिनांक 26.09.2006; 1604, दिनांक 28.03.2007; 243, दिनांक 11.01.2008; 5108, दिनांक 23.09.2008; 4450, दिनांक 01.08.2011; 5826, दिनांक 19.09.2011; 6987, दिनांक 26.09.2011; 6580, दिनांक 20.10.2011; 8060, दिनांक 17.12.2011; 144, दिनांक 06.01.2012; 2855, दिनांक 27.03.2012 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

आवेदन का प्रपत्र

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - I) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- II) / केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)
(क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण-पत्र हेतु

1	आवेदक/आवेदिका का नाम				
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :- आधार कार्ड में दर्ज पता :-				
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-				
4	जन्म तिथि :-	5.	पुरुष ()	महिला ()	ट्रांसजेंडर ()
6	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी. केन्द्र सूची) (उल्लेख करें) :-		7. उपजाति :-		
8	धर्म :-				
9	आवासीय पता :-				
(क)	स्थायी पता :- गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन _____ राज्य _____				
(ख)	वर्तमान पता :- गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन _____ राज्य _____				
10	पिता का नाम :-				
11	पिता की जाति :-				
12	पिता का पेशा :-				
13	पिता का PAN :-				
14	माता का नाम :-				
15	माता की जन्म तिथि :-				
16	माता का पेशा :-				
17	माता का PAN :-				
18	पति का नाम :-				
19	पति की जाति :-				

20	प्रमाण पत्र की श्रेणी (जिस श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाना है, उसके सामने 0 का निशान लगाये) NCL - Non Creamy Layer	1. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) - केन्द्र प्रयोजनार्थ (NCL)		
		2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची I) - राज्य प्रयोजनार्थ (NCL)		
		3. पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II) - राज्य प्रयोजनार्थ (NCL)		
		4. अन्य पिछड़ा वर्ग - आव्रजित श्रेणी (NCL)		
21	केन्द्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक-..... संकल्प सं०-.....		
22	झारखण्ड राज्य की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक-..... संकल्प सं०-.....		
23	आव्रजित श्रेणी के केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के मामले में मूल राज्य की सूची में केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग का क्रमांक एवं संकल्प संख्या	क्रमांक-..... संकल्प सं०-.....		
24	आव्रजित श्रेणी के केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के मामले में पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या एवं प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम	प्रमाण पत्र सं०..... प्राधिकृत पदाधिकारी.....		
25	अभिभावक/पिता की स्थिति	पिता	माता	
Category (I)	संवैधानिक पद			
	क्या आवेदक के माता/पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं ?			
	संवैधानिक पद का पदनाम			
Category (II)	केन्द्र अथवा राज्य में नियोजन का पद			
	क्या आवेदक के माता/पिता केन्द्र/राज्य अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं ?			
	यदि हाँ, तो सरकारी सेवा में नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित विवरणी			
	केन्द्र अथवा राज्य की सेवा में नियुक्ति का वर्ग (ग्रुप A/B/C/D/II/III/IV)			
	केन्द्र अथवा राज्य की सेवा में वर्तमान वर्ग (ग्रुप A/B/C/D/II/III/IV)			
	यदि वर्ग B से वर्ग A में प्रोन्नति 40 वर्ष के बाद हुई है तो नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य			
अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित जैसे-यूनिसेफ, यू० एन०, डब्लू० एच० ओ०	संगठन का नाम			
	पदनाम			
	सेवा का नाम एवं अवधि			

	क्या आवेदक के पिता केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक/जीवनबीमा संगठन या किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम में कार्यपालक पद (Executive) या उच्चतर पद पर पदस्थापित हैं ?		
	यदि कार्यपालक पद पर 40 वर्ष के बाद प्रोन्नति की गई है, तो प्रोन्नति से संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय		
	अन्य वेतनभोगी कर्मचारी		
	संगठन का नाम		
	पदनाम		
	सेवा का नाम एवं नियुक्ति की तिथि		
Category (III)	आर्म्ड फोर्स/पारा मिलिट्री		
	पदनाम		
	क्या धारित पद आर्मी के कर्नल या उच्चतर पद अथवा नेवी, एयरफोर्स एवं पारा मिलिट्री फोर्स का समकक्ष पद है ?		
Category (IV)	प्रोफेशनल/स्व नियोजित एवं व्यवसाय/उद्योग/ व्यापार करने वाले व्यक्ति		
	कृपया पेशा, उद्योग एवं व्यापार के संबंध में विवरणी दे		
	कुल वार्षिक आय		
Category (V)	सम्पत्ति मालिकों के लिए		
	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल		
	सिंचित/असिंचित भूमि का क्षेत्रफल		
	सिंचित भूमि का प्रतिशत		
	फसल की किस्म		
	यदि व्यावसायिक फसल, यथा रबर, कॉफी, चाय, मसाले इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, तो अंतिम तीन वर्षों का वार्षिक आय (आयकर रिटर्न की विवरणी संलग्न करें)		
Category (VI)	अन्य स्रोतों से आय – प्रोफेशनल सेवा, व्यापार, वाणिज्य, किराया, इत्यादि		
	1. आय का स्रोत (वेतन एवं कृषि से आय के स्रोत को छोड़कर)		
	प्रोफेशनल सेवा		
	व्यापार		
	वाणिज्य		

रबर, कॉफी, चाय, मसाले के उत्पादन से आय				
किराया से आय				
अन्य				
11. विगत लगातार तीन वर्षों की वार्षिक आय (आयकर रिटर्न संलग्न)	रिटर्न सं०	वर्ष	राशि	
			पिता	माता

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के दायरे में हूँ। अगर कोई सूचना गलत पायी गई तो मेरा नियोजन/नामांकन रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

माता का हस्ताक्षर

पिता का हस्ताक्षर

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नोट :-

1. उपर्युक्त कंडिका 25(iv) एवं 25(v) के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्तियों के आय निर्धारण का मानदण्ड कंडिका 25(vi) के आधार पर होगा। कंडिका 25(ii) एवं 25(iii) के अधीन आनेवाले आवेदक जो आरक्षण का लाभ हेतु अन्यथा पात्रता रखते हैं परन्तु यदि उनकी आय कृषि एवं वेतन को छोड़कर अन्य स्रोतों से है, तो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिवर्ष आय के मानदण्ड के अनुसार कंडिका 25(vi) के आधार पर क्रीमीलेयर की पात्रता निर्धारित की जायेगी।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु किया जायेगा।

घोषणा पत्र

आवेदक के द्वारा स्वयं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) का जाति प्रमाण पत्र के निमित्त (क्रीमीलेयर रहित)

मैं पिता झारखण्ड राज्य की/के स्थाई निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची I./पिछड़ा वर्ग, अनुसूची II के मामले में)/दिनांक-15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं पिता राज्य की/के मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/ आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आब्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं0 (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :-
4. मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन राज्य के पते पर साधारण: निवास करता/करती हूँ।
5. मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
6. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।
7. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से दोनों भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं हैं।
8. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रुपये है।
9. मेरे माता/पिता की कृषि से वार्षिक आय रुपये है।
10. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से व्यापार/व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपये है।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक-08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93-स्था० (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं, मौजा _____ खाता संख्या _____ प्लॉट संख्या _____ पंचायत/वार्ड _____ के खतियानी रैयत _____ का/की _____ हूँ।

खतियानी रैयत का नाम _____ (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-

↓
प्रथम पीढ़ी _____

↓
द्वितीय पीढ़ी _____

↓
तृतीय पीढ़ी _____

↓
चतुर्थ पीढ़ी _____

* जो लागू न हो उसे काट दें।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हूँ तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा।
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के माता/पिता के द्वारा संतान के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के निमित्त क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र हेतु

मैं..... पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची-1 / पिछड़ा वर्ग, अनुसूची-2 के मामले में)/दिनांक-15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं/मेरे पिता राज्य का/के मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आब्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

- मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री भारत का/की नागरिक है।
- मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
- मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
- मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन राज्य के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।
- मैंने अपने पुत्र/पुत्री..... के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के रूप में सूचीबद्ध है।
- मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है।
- मैं/मेरी पत्नी/दोनों (जो लागू न हो उसे काट दें) भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं है।
- मैं/मेरी पत्नी/दोनों की वेतन से वार्षिक आय रुपया है।
- मैं/मेरी पत्नी/दोनों की कृषि से वार्षिक आय रुपया है।
- मैं/मेरी पत्नी/दोनों का अन्य स्रोतों से व्यापार/व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपया है।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक-08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93-स्था० (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मौजा _____ खाता संख्या _____ प्लॉट संख्या _____
पंचायत/वार्ड _____ के खतियानी रैयत _____ का/की _____ हूँ।
खतियानी रैयत का नाम _____ (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-

↓
प्रथम पीढ़ी _____

↓
द्वितीय पीढ़ी _____

↓
तृतीय पीढ़ी _____

↓
चतुर्थ पीढ़ी _____

* जो लागू न हो उसे काट दें।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर

(पिता/माता का नाम-.....)

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा।
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A MEMBER OF OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs),
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari Son/ Daughter of
Shri/Smt..... of Village/ Town
District/Division*of the State/Union Territory
.....belongs to the Caste which is recognized as Other
Backward Class under :

- (i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 186 dated 13/09/93.
- (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 163 dated 20/10/94.
- (iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 88 dated 25/05/95.
- (iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
- (v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 05/12/96 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 11/12/96.
- (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
- (vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
- (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
- (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 06/12/99 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 270 dated 06/12/99.
- (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 71 dated 04/04/2000.
- (xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 21/09/2000.
- (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 05/09/2001.
- (xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 15/06/2003.
- (xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
- (xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 16/01/2006.

(xvi) 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010.

(xvii) 12015/2/2007-BCC dated 11/10/2010.

(xviii) 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011.

(xix) 12015/5/2011-BCC dated 17/02/2014.

(xx) 12011/6/2014-BCC dated 07/12/2016.

2. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*
.....District/Division* of the State/Union Territory* of

3. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/Sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide O.M.No.36033/3/2004 - Estt. (Res) dated 09.03.2004 or the latest notification of the Government of India and professes

4. This certificate is valid for one year from the date of issue.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

Signature.....

Designation

Place.....

(with seal of office)

Date.....

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (CEIs) में दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 पिता....., ग्राम/नगर
 जिला/प्रमंडल राज्य/संघशासित प्रदेश
 निम्नलिखित के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में यथा मान्यताप्राप्त जाति के सदस्य हैं:-

- (i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-1, धारा 1 संख्या 186 दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/68/9 3-बीसीसी (सी) दिनांक 10/09/93
- (ii) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19/10/94
- (iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग -1, धारा 1 संख्या 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24/05/95 ।
- (iv) संकल्प सं० 12011/9 6/94-बीसीसी दिनांक 09/03/96।
- (v) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 05/12/96
- (vi) संकल्प सं० 12011/13/97-बीसीसी दिनांक 03/12/97।
- (vii) संकल्प सं० 12011/99/94-बीसीसी दिनांक 11/12/97।
- (viii) संकल्प सं० 12011/68/98-बीसीसी दिनांक 27/10/99।
- (ix) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1 में प्रकाशित, धारा 1 संख्या 270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/88/98-बीसीसी दिनांक 06/12/99 ।
- (x) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 71 दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 04/04/2000 ।
- (xi) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1 में प्रकाशित, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 21/09/2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99-बीसीसी दिनांक 21/09/2000 ।
- (xii) संकल्प सं। 12015/9/2000-बीसीसी दिनांक 05/09/2001।
- (xiii) संकल्प सं। 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 15/06/2003।
- (xiv) संकल्प सं। 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13/01/2004।
- (xv) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-1, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 16/01/2006

(xvi) 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 18/08/2010।

(xvii) 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 11/10/2010।

(xviii) 12015/13/2010-बीसीसी दिनांक 08/12/2011।

(xix) 12015/5/2011-बीसीसी दिनांक 17/02/2014।

(xx) 12011/6/2014-बीसीसी दिनांक 07/12/2016।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (SCT) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्यालय ज्ञापन 36033/3/2004- स्था. (RES)दिनांक 09.03.2004 अथवा भारत सरकार की अद्यतन अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं तथा ये धर्म को माननेवाले हैं।

4. यह प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

**FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/
BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND**

This is to certify that Son/ Daughter of
..... Wife of (in case of married woman)
of Village/ Town..... District/Division*.....of the
State/Union Territorybelongs to the Caste which
is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies
and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes
..... Religion.

2.* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*
.....District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/Sections (Creamy layer)
mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 of Department
of Personnel and Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative
Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 dated 10.06.2002.

4. This certificate is issued on the basis of declaration made by applicant and his/her parents in
terms of rule of exclusion enumerated in OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one
year from the date of issue. This certificate will, however, be valid if it is enclosed with current declaration of
being non-creamy layer, for the financial year in which such declaration is made in the form-15 specified for the
purpose.

Signature.....

Designation

Place.....

(with seal of office)

Date.....

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि
 पिता पति (विवाहित
 महिला के मामले में) ग्राम/नगर, जिला/प्रमंडल
 , राज्य/संघशासित प्रदेश, जाति के सदस्य हैं, जो
 झारखंड रिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची-I और II)
 के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये धर्म को माननेवाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार
 साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल
 में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं
 प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.
 1993 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
 राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन
 क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.इ.टी.),
 दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदक तथा उसकी/उसके
 माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत
 होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी
 अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता
 स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

FORM OF CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES WHO HAVE MIGRATED FROM OTHER STATE/UNION TERRITORY

This is to certify that Shri/Smt./Kumari Son/ Daughter of Shri/Smt.
..... of Village/ Town.....
.....District/Division*.....of the State/Union Territory
.....belongs to the Caste/Tribe which is recognized as
Scheduled Caste/Scheduled Tribe under :

*The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order, 1951

*The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organization Act, 1960, the Punjab Re-organization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1971 and the North Eastern Areas (Reorganization) Act, 1976]

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

*The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.

- * The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.
- * The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.
- * The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.
- * The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
- * The Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 2002.

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Smt. father/mother of Shri/Smt./Kumari..... of the State/Union Territory in District/Division of the State/Union Territory who belong to the Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory..... issued by the(name of prescribed authority) vide their no..... dated

3. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*District/Division* of the State/Union Territory* of

4. This certificate is not valid for seeking benefit/concessions of SC/ST category in this State of Jharkhand.

5. This certificate is valid till further orders or till any change made in Central Caste list under SC/ST Category for Jharkhand.

Note : The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.

Signature.....

Designation

(with seal of office)

Place.....

Date.....

किसी अन्य राज्य/संघशासित क्षेत्र के प्रवासी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य व्यक्तियों को जारी किये जानेवाले प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 पिता ग्राम/नगर
 जिला/प्रमंडल राज्य/संघशासित प्रदेश
 निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यता प्राप्त जाति/जनजाति के सदस्य हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- * संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती जो श्री/श्रीमती/कुमारी के माता-पिता हैं और राज्य/संघशासित क्षेत्र के जिला/प्रमंडल में ग्राम/नगर के निवासी हैं तथा जाति/जनजाति के सदस्य हैं, जिसे..... राज्य/संघशासित क्षेत्र में द्वारा (विहित प्राधिकार का नाम) निर्गत पत्रांक, दिनांक के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। यह प्रमाणपत्र इन्हें प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र के आधार पर निर्गत किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल में साधारणतया निवास करता है/करते हैं।

4. यह प्रमाणपत्र झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोटि में कोई लाभ/रियायत प्राप्त करने के लिये वैध नहीं होगा।

5. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक अथवा झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोटि में केन्द्रीय जाति सूची के अधीन कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक की स्व-घोषणा पर आधारित है।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

FORM OF CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO OTHER BACKWARD CLASSES WHO HAVE MIGRATED FROM OTHER STATE/UNION TERRITORY

This is to certify that Shri/Smt./Kumari Son/ Daughter of Shri/Smt.
..... of Village/ Town.....
.....District/Division*of the State/Union Territory
.....belongs to the Caste which is recognized as Other
Backward Class under :

- (i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 186 dated 13/09/93.
- (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 163 dated 20/10/94.
- (iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 88 dated 25/05/95.
- (iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
- (v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 05/12/96 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 11/12/96.
- (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
- (vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
- (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
- (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 06/12/99 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 270 dated 06/12/99.
- (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 71 dated 04/04/2000.
- (xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 21/09/2000.
- (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 05/09/2001.
- (xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 15/06/2003.
- (xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
- (xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 16/01/2006.
- (xvi) 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010.

(xvii) 12015/2/2007-BCC dated 11/10/2010.

(xviii) 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011.

(xix) 12015/5/2011-BCC dated 17/02/2014.

(xx) 12011/6/2014-BCC dated 07/12/2016.

2. This certificate is issued on the basis of the Caste certificate(BC-I/BC-II)/Other Backward Class Certificate issued to Shri/Smt. father/mother of Shri/Smt./Kumari..... of the State/Union Territory in District/Division of the State/Union Territory who belong to the Caste which is recognized as a Backward Class (BC-I/BC-II) in the State/Union Territory..... issued by the(name of prescribed authority) vide their no..... dated

3. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*District/Division* of the State/Union Territory* of

4. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/Sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide O.M.No.36033/3/2004 - Estt. (Res) dated 09.03.2004 or the latest notification of the Government of India and professes Hinduism/ other religion.

5. This certificate is not valid for seeking benefit/concessions of OBC category in this State of Jharkhand and validity of this certificate is one year from the date of issuance.

Note : The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.

Signature.....

Designation

(with seal of office)

Place.....

Date.....

किसी अन्य राज्य/संघशासित क्षेत्र के प्रवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य
व्यक्तियों को जारी किये जानेवाले प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिताग्राम/नगर
जिला/प्रमंडल, राज्य/संघशासित प्रदेश
निम्नलिखित के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में यथामान्यताप्राप्त
जाति के सदस्य हैं:-

- (i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-1, धारा 1 संख्या 186 दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/68/93-बीसीसी (सी) दिनांक 10/09/93
- (ii) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19/10/94
- (iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग -1, धारा 1 संख्या 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24/05/95 ।
- (iv) संकल्प सं० 12011/9 6/94-बीसीसी दिनांक 09/03/96।
- (v) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 05/12/96
- (vi) संकल्प सं० 12011/13/97-बीसीसी दिनांक 03/12/97।
- (vii) संकल्प सं० 12011/99/94-बीसीसी दिनांक 11/12/97।
- (viii) संकल्प सं० 12011/68/98-बीसीसी दिनांक 27/10/99।
- (ix) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1 में प्रकाशित, धारा 1 संख्या 270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/88/98-बीसीसी दिनांक 06/12/99 ।
- (x) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 71 दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 04/04/2000 ।
- (xi) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1 में प्रकाशित, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 21/09/2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99-बीसीसी दिनांक 21/09/2000 ।
- (xii) संकल्प सं। 12015/9/2000-बीसीसी दिनांक 05/09/2001।
- (xiii) संकल्प सं। 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 15/06/2003।
- (xiv) संकल्प सं। 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13/01/2004।

(xv) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-1, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 16/01/2006

(xvi) 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 18/08/20101

(xvii) 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 11/10/20101

(xviii) 12015/13/2010-बीसीसी दिनांक 08/12/20111

(xix) 12015/5/2011-बीसीसी दिनांक 17/02/20141

(xx) 12011/6/2014-बीसीसी दिनांक 07/12/20161

2. श्री/श्रीमती जो श्री/श्रीमती/कुमारी के माता-पिता हैं और राज्य/संघशासित क्षेत्र के जिला/प्रमंडल में ग्राम/नगर के निवासी हैं तथाजाति के सदस्य हैं, जिसे..... राज्य/संघशासित क्षेत्र में द्वारा (विहित प्राधिकार का नाम) निर्गत पत्रांक दिनांक के द्वारा पिछड़ा वर्ग (बीसी-1/बीसी-2) के रूप में मान्यता दी गई है। यह प्रमाणपत्र इन्हें प्राप्त पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र के आधार पर निर्गत किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल में साधारणतया निवास करते हैं।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (SCT) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्यालय ज्ञापन 36033/3/2004- स्था. (RES)दिनांक 09.03.2004 अथवा भारत सरकार की अद्यतन अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित क्रीमी लेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं तथा ये हिन्दू/अन्य धर्म को माननेवाले हैं।

5. यह प्रमाणपत्र झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग (बीसी-I/बीसी-II) की कोटि में कोई लाभ/रियायत प्राप्त करने के लिये वैध नहीं होगा।

टिप्पणी :

यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

ग्राम सभा/वार्ड समिति के द्वारा जाति निर्धारण हेतु मानक चेक लिस्ट

1. आवेदक का नाम : -
2. आधार नं० (यदि हो तो) :-
3. आधार कार्ड में दर्ज पता :-
4. मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
5. आवेदक के पिता का नाम एवं पता -.....
6. आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति -.....
7. आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति के समर्थन में दाखिल किये गये कागजात -

क्र०	आवेदक द्वारा समर्पित कागजात	अभ्युक्ति

8. आवेदन में अंकित पते पर आवेदक/उनके पूर्वज के वर्ष 1950 (अनुसूचित जाति/जनजाति) एवं वर्ष 1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-I /पिछड़ा वर्ग-II) तथा वर्ष 1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग) से लगातार निवासित होने का साक्ष्य/दस्तावेज -
9. आवेदक के आवेदन में अंकित पते पर वर्तमान में स्थानीय रूप से निवासित होने का साक्ष्य/दस्तावेज/कथन -
10. आवेदक की पहचान हेतु मान्य पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त):-

क्र०	पहचान पत्र का प्रकार	पहचान पत्र संख्या
1.		

11. आवेदक द्वारा दावा की गई जाति के समर्थन में समर्पित साक्ष्य/दस्तावेज -

12. आवेदक के परिवार के किसी सदस्य को पूर्व में यदि जाति प्रमाण-पत्र निर्गत है तो उसकी विवरणी -

(क) प्रमाण पत्र परिवार के जिस सदस्य को निर्गत है उससे आवेदक का सम्बन्ध :-

(ख) प्रमाण पत्र परिवार के जिस सदस्य को निर्गत है उसके सम्बन्ध में सूचना :-

मौजा----- खाता सं०----- प्लॉट सं०----- रैयत का
नाम----- (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष -----
आधार संख्या (यदि हो तो) -----

(ग) निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

13. अंचल निरीक्षक के जाँच से प्राप्त मंतव्य -

--

14. राजस्व ग्राम के पाँच खतियानी रैयत का नाम, पता एवं खतियान की विवरणी -

क्र०	खतियानी रैयत/भूधारी की विवरणी	खतियानी रैयत का मंतव्य
	मौजा----- खाता सं०----- प्लॉट सं०----- रैयत का नाम----- (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :- आधार संख्या (यदि हो तो) :-	
	मौजा----- खाता सं०----- प्लॉट सं०----- रैयत का नाम----- (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :- आधार संख्या (यदि हो तो) :-	
	मौजा----- खाता सं०----- प्लॉट सं०----- रैयत का नाम----- (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :- आधार संख्या (यदि हो तो) :-	

मौजा————— खाता सं०————— प्लॉट सं०————— रैयत का नाम————— (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :- आधार संख्या (यदि हो तो) :-	
मौजा————— खाता सं०————— प्लॉट सं०————— रैयत का नाम————— (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :- आधार संख्या (यदि हो तो) :-	

* जो लागू न हो उसे काट दें।

15. ग्राम सभा/वार्ड समिति का आवेदक की जाति निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन एवं मंतव्य -

मुखिया / वार्ड पार्षद का हस्ताक्षर

16. ग्राम सभा/वार्ड समिति के प्रत्येक उपस्थित सदस्य का नाम, पता, हस्ताक्षर एवं बैठक की तिथि -

नोट - गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के षडयंत्र में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान के सेक्शन-120 B, 177, 181, 200 एवं 420 के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की जायेगी।

क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र के साथ समर्पित किया जाएगा)

मैं..... पिता

पति/पत्नी..... निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर.....

..... पोस्ट..... थाना.....

अंचल जिला..... राज्य.....

एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं

समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-

360112/22/93 स्था0 (एस0सी0टी0)/झारखण्ड राज्य के संकल्प सं0....., दिनांक.....

में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत

सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग

(अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला, अंचल के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संख्या- दिनांक निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर